कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश

उपस्थित:- श्री दीपक कुमार,कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- सर्वश्री टी0आर0इण्डस्ट्रीज ,तिवारी गंज,इण्डस्ट्रियल एरिया, फैजाबाद रोड,लखनऊ ।

प्रा0प0सं0:- 306/2008

प्रार्थी की ओर से श्री अवधेश वर्मा, पार्टनर फर्म

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1- प्रार्थी के द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 30-5-2008 को प्रस्तुत किया गया जिसमें ट्रांसफार्मर के पार्टस पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है ।

2- ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)वाणिज्य कर,लखनऊ से प्राप्त आख्या मे उल्लेख किया है कि ट्रांसफार्मर पार्टस शिडयूल-. 1,2,3 व 4 मे वर्गीकृत नही है अत: शिडयूल-5 के अन्तर्गत इस पर 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता है।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री अवधेश वर्मा,पार्टनर फर्म उपस्थित हुए व उन्होनें उक्त जानकारी देने का अनुरोध किया ।

4- मैने प्राप्त विभागीय आख्या व धारा-59 के प्रार्थना पत्र मे अंकित तर्को का अवलोकन किया । सर्वश्री महेन्द्रा इन्जीनियरिंग लि0,अ (प्रार्थना पत्र सं0- 71/2008) के वाद में धारा-59 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 17-3-2008 मे ट्रांसफार्मर पार्टस पर कर की दर 12.5 प्रतिशत निर्धारित की गई है अत: ट्रांसफार्मर पार्टस पर 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता है ।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र मे उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय ।

दिनांक::अगस्त 8 2008

ह0/08-08-2008

(दीपक कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ